न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प चांदजी की खेडी बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–6/2017 दायर तारीख 06.01.2017

मोहन कंवर पत्नि देवीदान जाति चारण उम्र बालिग निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रार्थीया

बनाम

1. भंवरी देवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति धाकड उम्र बालिग निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. नर्मदा देवी पत्नि शम्भूलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. तहसीलदार बिजौलियां .....विपक्षीगण

उपस्थितः–

ब्रहमप्रकाश तिवाडी अधिवक्ता वादी

गिरधारी लाल आचार्य अधिवक्ता प्रतिवादी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:–निर्णयः– दिनांक 05.06.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्व विपक्षीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार वाली कृषि भूमि ग्राम पचानपुरा प0ह0 चांदजी की खेडी में खाता सं0 175 की खसरा सं0 761/338 रकबा 10 बीघा, खाता सं0 174 की खसरा सं0 814/337 रेकबा 3 बीघा, आ0नं0 865/342 रकबा 2 बीघा किता 3 रकबा 15 बीघा भूमि जमाबंदी सम्वत् 2072 से 75 के अनुसार दर्ज रिकार्ड होकर स्थित है। प्रार्थीया को उक्त भूमि जरिये आवंटन के प्राप्त हुई थी आ0नं0 761/338 रकबा 10 बीघा की तरमीम राजस्व अधिकारीयो ने जान बूझकर नक्शे में नही की तथा इस स्थान पर आ0नं0 745/338 रकबा 6 बीघा कृषि भूमि जो वर्तमान में विपक्षी सं0 1 व 2 के हक अधिकार मे है को सेवन से प्रार्थीया की आ0 सं0 761/338 के स्थान पर तरमीम कर दिया गया जबकि आ0नं0 745/338 के 5 बीघा भूमि पर अभी भी प्रार्थीया का ही कब्जा है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी के राजस्व नक्शे में सही तरमीम किये जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र श्रीमन उपखण्ड अधिकारी महोदय को दिनांक 05.06.2015 को प्रस्तुत किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार बिजौलियां के आदेश कमांक राजस्व/2015/489 दिनांक 11.06.2015 की पालना मे प0ह0 चांदजी की खेडी द्वारा मौके पर जाकर मय रिकार्ड के दिनांक 09.07.2016 को नक्शा मौका कायम किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है उक्त प्रार्थनापत्र में भी प0ह0 द्वारा आ0नं0 761/338 रकबा 10 बीघा को नक्शे में तरमीम नही होने तथा आ0नं0 745/338 के 5 बीघा भूमि पर प्रार्थीया का ही कब्जा होने की रिपोर्ट दी हुई है। जहा आ0सं0 761/338 रकबा 10 बीघा तरमीम होना चाहिये था वह स्थान आधा रिक्त पडा हुआ है। प्रार्थीया को आवंटित कृषि भूमि को स्वतः ही राजस्व अधिकारीयो तथा विपक्षी सं0 3 के अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा नक्शे में तरमीम उसी समय कर दिया जाना चाहिये था लेकिन ऐसा नही कर राजस्व अधिकारीयो ने भारी भू ल की है। जिसकी क्षति वर्तमान में प्रार्थीया को उठानी पड रही है तथा सेवन से प्रार्थीया के कब्जे सुदा कृषि भूमि की तरमीम नक्शे में नही होने से तथा विपक्षी सं0 1 व 2 की कृषि आराजीयात को गलत ढंग से नक्शे में तरमीम कर दिये जाने से प्रार्थीया को असहनीय क्षति हो रही है। जिसे तुरन्त प्रभाव से राजस्व नक्शे में सही तरिके से तरमीम करवाया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रार्थीया की

ड अधिकारी
जिला-भीलवाडा

Scanned by CamScanner

आ0नं0 761/338 रकबा 10 बीघा भूमि को राजस्व नक्शे में सही तरिके से तरमीम करायी जावे तथा विपक्षी सं0 1 व 2 की कृषि आराजीयात 745/338 को अन्य जगह प्रतिस्थापित की जाकर सही तरीके से तरमीम करायी जाकर प्रार्थीया को राहत प्रदान करायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलवी जरिये समन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवाई गई।

विपक्षीगण की और से अधिवक्ता गिरधारीलाल आचार्य ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी ने मौजा पचानपुरा में स्थित आराजी नं0 761/338 रकबा 10 बीघा की तरमीम हेतु आवेदन किया गया है वह पोषणिय नही है क्योकी प्रार्थी जिस स्थान पर तरमीम चाह रहा है वहा न तो उसका कब्जा है व आ0नं0 745/338 नक्शा ट्रेस में तरमीम है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि नही होकरविपक्षीगण की खातेदारी व रकबे की भूमि है। प0ह0 ने विपक्षीगण की अनुपस्थिति में प्रार्थी का कब्जा लिख दिया जब कि विपक्षीगण की स्थाई सीमाबंदी की दिवार मौके पर लगी है। प0ह0 ने आ0नं0 745/38 जिस पर विपक्षीगण का कब्जा है उसेक प्रार्थी के रकबे में नही होना भी स्वीकार किया है। जिस स्थान पर तरमीम बाबत आ0नं0 745/338 में चाही जा रही है मोहरबंद आवंटी को आवंटीत हुई भूमि है। धारा 136 रा0भू0रा0 अधिनियम की परिधि का मामला नही है अपितु धारा 88 रा0टि0एक्ट0 के तहत विचारण का मामला है क्योकि आ0नं0 745/338 रकबा 6 बीघा विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि है। धारा 136 रा0भू0रा0 अधिनियम में किसी भी अभिलिखित खातेदारकी खातेदारी समाप्त की जाकर अन्य को उसका खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। जिस ख0नं0 761/338 रकबा 10 बीघा को प्रार्थी ख0नं0 745/338 में परिवर्तन करवाना चाहते है उसका जमाबंदी में 6 बीघा ही रकबा दर्ज होकर विपक्षीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। ख0नं0 745/338 का रकबा 10 बीघा नही है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट है कि आ0नं0 338 मे जितने भी अलोटमेंट किये गये उनको आवंटन के कम में तरमीम किया है। आ0नं0 745/338 रकबा 6 बीघा की तरमीम पहिले हुई उसके बाद आ0नं0 761/338 जिसकी तरमी प्रार्थी द्वारा चाही जा रही है क्योकि 761/38 जो कम है वह 745/338 के बाद का कम का खसरा नं0 है क्योकि दोनो के बीच 16 कमो का अन्तर है। ऐसी स्थिति में खसरा नं0 745/338 पहिले बैठा हुआ था। तत्कालीन प0ह0 ने नक्शे मे ओवर लोपिंग कर ख0नं0 745/338 रकबा 6 बीघा था। खसरा नं0 761/338 रकबा 10 बीघा नक्शा बना दिया। जबकि खसरा नं0 338 में 10 बीघा और रकबा शेंष ही नही बचा था। प्रार्थी को विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि आ0नं0 761/338 में समायोजन करवा उसका वर्चस्व समाप्त कराने का अधिकारी नही है। मनोहरसिंह पिता रामसिंह चारण को खसरा नं0 338 में आवंटन 23.02.1977 को जरिये पत्रावली कमाक 133/17 में हुआ है। जिसका खसरा नं0 745/338 पडा जिसे बाद में विपक्षीगण ने क्रय कर लिया वे वर्तमान में खातेदार है जबकि विवादग्रस्त खसरा नं0 761/338 जिस बाबत यह प्रार्थनापत्र है उसे उसका आवंटन दिनांक 01.06.1989 को जरिये पत्रावली क्रमांक 576/89 मे किया गया। मनोहरसिंह जिससे विपक्षीगण ने खसरा नं0 745/338 रकबा 6 बीघा क्रय की गई मोहन कंवर जिसको खसरा नं0 761/338 अवंटन किया गया दो वर्ष पूर्व हीकब्जा दे दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि खसरा नं0 761/338 विवादीत खसरा नं0 वाली गलत तरमीम की गई है। खसरा नं0 745/338 पर खसरा नं0 761/338 की ओवरलोपिंग की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

खण्ड अधिकारी
लियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात जमाबंदी ग्राम पंचानपुरा सम्वत् 2072 से 75, आवंटन पत्रादी की फोटो प्रतिया, नक्शा ट्रेस, सिपुर्दगी नामा, इकरार नामा, मौका पर्चा की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की है।

Scanned by CamScanner

वकील अप्रार्थी ने जवाब के साथ दस्तावेजात सिपुर्दगी नामा मोहन कंवर, हजूर तहसीलदार, आवंटन प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, मनोहरसिंह के नाम की प्रस्तुत की है।

प्रकरण में बहस सुनी गई।

प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर मेरिट पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु उभयपक्षों ने सहमती व्यक्त की जिसके निर्णय शिविर में करने हेतु प्रकरण शिविरार्थ रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर मनन किया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पचानपुरा की आ0नं0 761/338 रकबा 10 बीघा भूमि को राजस्व नक्शे मे सही तरीके से तरमीम करायी जावे तथा विपक्षी सं0 1 व 2 की कृषि आराजीयात 745/338 को अन्य जगह प्रतिस्थापित की जाकर सही तरीके से तरमीम कराई जाने की मांग की है। प्रार्थी खसरा नं0 761/338 रकबा 10 बीघा की तरमीम खसरा नं0 745/338 रकबा 6 बीघा के स्थान पर करवाना चाहता है। खसरा नं0 745/338 का आवंटन वर्ष 1977 में हुआ जबकि खसरा नं0 761/338 का आवंटन 1989 में हुआ। विपक्षीगण का आवंटन प्रार्थी के आवंटन से पूर्व का है। प्रार्थी ने खसरा नं0 745/338 की तरमीम कब हुई इस बारे में कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किये। प्रार्थी के खसरा नं0 761/338 की तरमीम अब तक क्यो नही हुई इस संबध मे भी कोई संतोष जनक तथ्य पेश नही किये। खसरा नं0 338 में कितने व्यक्तियो को भूमि किस प्रकार आवंटन हुई इस संबध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये इस कारण तरमीम सही है या गलत उसके निष्कर्ष पर नही पहुँचा जा सका। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.06.2018 को चांदजी की खेड़ी मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

05/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(कैम्प चांदजी की खेड़ी)